सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री गौतम मुखर्जी, महाप्रबंधक, छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर
दूरभाष क्र. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 08/2016 दिनांक 04.05.2016

O/o CE (EITC)
Receipt No. 1414
Date 3 JUN 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE.
Section

श्री राजेश तांती
मकान नं0 13
उत्सव विहार कॉलोनी
रोहणीपुरम, रायपुर (छ.ग.)

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 24.05.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री राजेश तांती की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 08/2016 दिनांक 04.05.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री राजेश तान्ती का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक निरंक के माध्यम से "माह जून 2009 से कितने सहायक अभियंता (पारे./वितरण) की पदस्थापना (वित्त एवं लेखा) विभाग में की गई है, साथ ही टीप/दस्तावेज जिसके आधार पर इन अधिकारियों की पदस्थापना वित्त विभाग में की गई है, की जानकारी चाही गई है। जिसे जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नही करायी गई है जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतएव उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./34–35/दिनांक 18.05.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 24.05.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री राजेश तान्ती को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो एवं अपीलार्थी श्री राजेश तान्ती उपस्थित रहे। तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 24.05.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0 रा0 वि0 हो0 कं0 मर्या0, रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री राजेश तान्ती द्वारा माह जून

से कितने सहायक अभियंता (पारे./वितरण) की पदस्थापना (वित्त एवं लेखा) विभाग में की गई है, साथ ही टीप/दस्तावेज जिसके आधार पर इन अधिकारियों की पदस्थापना वित्त विभाग में की गई है, की जानकारी चाही गई है। उक्त वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 1189 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 190 दिनांक 01.04.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत आवेदक श्री राजेश कुमार तान्ती को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 05.04.2016 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर करायी गई।

उल्लेखनीय है कि **भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 1/18/2011–आई–आर दिनांक 16.09.2011 में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना की व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है।** अतएव वांछित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही करायी गयी है।

(5) उपरोक्त नियत सुनवाई तिथि 24.05.2016 को अपीलार्थी श्री राजेश तान्ती एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस.आर.बांधेय जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

उक्त निर्धारित तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन किया गया, एवं दोनों के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों मे उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित एंव निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना परिलक्षित होता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उनके आवेदन में वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध न कराते हुए कार्यालयीन टीप क्रमांक 309 दिनांक 03.04.2016 की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है, जो वांछित जानकारी से कोई संबंध नही रखता है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है। जैसा कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा चाही गई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी को उपलब्ध नही करायी गयी है, जो सही परिलक्षित प्रतीत होता है।

उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री तान्ती द्वारा अपना पक्ष रखते हुए वांछित जानकारी की प्रतिलपि उपलब्ध कराये जाने बाबत निवेदन किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में जनसूचना अधिकारी द्वारा

पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि श्री तान्ती द्वारा वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतः दिया जाना संभव नही है, जिससे अपीलार्थी संतुष्ट हुए।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा संबंधित प्रभाग से प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी। अतएव जनसूचना अधिकारी के द्वारा पैरा क्रमांक 04 में की गई कार्यवाही अधिनियम में निहित तथ्यों के अनुरूप सही है, जो स्वीकार योग्य है। अतः प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही आपेक्षित नही है।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी श्री राजेश तान्ती का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता हैं, एवं अपील प्रकरण क्रमांक 08/2016 दिनांक 04.05.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –08/2016/ 37 **रायपुर, दिनांक 24/05/2016**

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजेश तान्ती, मकान नं.–13, उत्सव विहार कॉलोनी, रोहिणीपुरम, रायपुर, 492010 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।
पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700